~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 110/2022 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रेवंतसिंह पुत्र राधाकिशन 2. सुरजभानसिंह पुत्र राधाकिशन 3. ओमसिंह पुत्र राधाकिशन जाति राजपुरोहित, निवासी बीसुखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. सिरेकंवर पत्नी चिमनसिंह 5. बांकसिंह पुत्र चिमनसिंह 6. मुकनसिंह पुत्र चिमनसिंह 7. लालसिंह पुत्र चिमनसिंह 8. देवीसिंह पुत्र सगतसिंह 9. जगदीशसिंह पुत्र सगतसिंह 10. गौतमचन्द पुपत्र सगतसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बाटाडू तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1. भंवरसिंह पुत्र चिमनसिंह 2. लाछीदेवी पत्नी लूणसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बीसुखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. कुंभाराम पुत्र तगाराम 4. कमलेशकुमार पुत्र तगाराम 5. गोमाराम पुत्र तगाराम 6. पेपोदेवी पत्नी तगाराम 7. बांकाराम पुत्र तगाराम 8. लक्ष्मणराम पुत्र तगाराम जाति मेघवाल निवासी बचोणियों की ढाणी, बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 10. हल्का पटवारी बीसुकला

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री सूरजभानसिंह।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 से 8 :— श्री जेठाराम कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 30.06.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम बीसुखुर्द, तहसील शिव के खसरा नम्बर 129/1 रकबा 117.00 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा में सगतसिंह व चिमनसिंह पिसरान दानसिंह व 1/2 हिस्सा में फरसराम पुत्र हिन्दूमलजी खातेदार थे। खसरा नम्बर 129/1 रकबा 117.00 बीघा जो बीसुखुर्द की सरहद का खेत था, जिसे राजस्व अभिलेख में उक्त खसरे को बचोणियों की ढाणी में दर्ज करने पर नवीन खसरा नम्बर 197/129 दिया गया। किन्तु उक्त राजस्व अंकन का नक्शे में विधि अनुसार तरमीम नहीं की जा सकी। प्राथीगण संख्या 1 से 3 द्वारा बीसुखुर्द के खसरा नम्बर 129/1 जिसका नवीन खसरा बचोणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 197/129 के 1/2 हिस्से के खातेदारों से क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया एवं आज भी बतौर खातेदार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। जब उक्त क्रयशुदा भूमि के नामांतरकरण हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया गया, तब पटवारी द्वारा बताया गया कि राजस्व नक्शे में भारी त्रूटि एवं भूल हुई है एवं प्रार्थीगण के मालिकाना कब्जाशुदा बीसुखुर्द के खेत खसरा नम्बर 129/1 व बचोणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 197/129 का राजस्व नक्शें में अंकन दर्ज नहीं है, जिससे प्रार्थीगण को विधि अनुसार तरमीम करवाया जाना अतिआवश्यक है। जब प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तो उन्हे मालूम हुआ कि पटवारी द्वारा ग्राम बीसुखुर्द के खसरा नम्बर 293/129 व 295/129 की गलत तरीके से तरमीम कर दी गई है। अतः राजस्व नक्शा ग्राम बीसुखुर्द के खसरा नम्बर 293/129, 295/129 में उक्त खसरे का सीमांकन किया जाकर राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जावें तथा प्रार्थीगण के मालिकाना खेत मौजा बीसुखुर्द के खसरा नम्बर 129/1 रक़बा 117.00 बीघा (बचोणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 197/129) को खसरा नम्बर 295/129 में 295/129 रकबा 117.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जाकर एवं प्रार्थीगण का मूल खसरा नम्बर 129/1 रकबा 117.00 बीघा को बीसुखुर्द में दर्ज न किया जावें तो प्रार्थीगण का बचोणियों की ढाणी में खसरा नम्बर 197/129 रकबा 117.00 बीघा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाकर तद्नुसार तरमीम दुरस्ती की जावें।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम बीसुखुर्द में खसरा नम्बर 129, 293/129, 294/129, 295/129, 296/129, 265/129 रकबा क्रमशः 117.01, 117.01, 117.02, 117.01, 58.11, 58.11 बीघा दर्ज थे तथा ग्राम बचोणियों की ढाणी में खसरा नम्बर 197/129 रकबा 117.00 बीघा दर्ज था। चूंकि ग्राम बचोणियों की ढाणी मूल राजस्व ग्राम बीसुखुर्द से अलग होकर बना होने के कारण उक्त दोनों ग्रामों का लट्ठा ट्रेस एक ही था। उक्त समस्त खसरा नम्बर एक ही मूल खसरा नम्बर 129 के भाग है तथा वर्तमान लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 197/129 की तरमीम अंकित नहीं की गई है, जबकि खसरा नम्बर 295/129 की तरमीम अपने रकबे से ज्यादा लगभग 210 बीघा की है तथा खसरा नम्बर 293/129 की तरमीम लट्ठा नक्शा में 117.01 बीघा के स्थान पर 143 बीघा की गई है। सेग्रिगेशन जमाबंदी बनाते समय लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 197/129 का अंकन नहीं होने के कारण वन टू वन करते समय ग्राम बचोणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 197/129 को हटा दिया गया, जो कि भूलवंश लिपिकीय त्रूटि के कारण हुआ है। वर्तमान में खसरा नम्बर 197/129 ग्राम बचोणियों की ढाणी की जमाबंदी तथा ऑनलाईन नक्शे में दर्ज नहीं है, जबकि खसरा नम्बर 295/129 जिसमें से खसरा नम्बर 197/129 की तरमीम की जानी है, उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में बीसूखुर्द में दर्ज है। अतः खसरा नम्बर 197/129 रकबा 117.00 बीघा की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा अनुसार की जाकर उक्त खसरे को ग्राम बीसुखुर्द की वर्तमान जमाबंदी में अंकित किये जाने की अनुशंषा की गई है। विप्रार्थी संख्या 3 से 8 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करते हुए उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर तरमीम दुरस्ती बाबत् अपनी सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 197/129 को ग्राम बीसुखुर्द में रखते हुए संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 197/129 को ग्राम बीसुखुर्द की जमाबंदी में अंकित करते हुए तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा पक्षकारान् द्वारा भी मौके पर उपस्थित होकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की जाकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये गये है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के खसरा नम्बर 197/129 रकबा 117.00 बीघा का अंकन ग्राम बीसुखुर्द की जमाबंदी में करते हुए संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बीसुखर्द, तहसील शिव के खसरा नम्बर 293/129, 295/129 रकबा क्रमशः 117.01, 117.01 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 197/129 रकबा 117.00 बीघा का अंकन राजस्व ग्राम बीसुखुर्द की जमाबंदी में करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन एवं तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव, (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner